



क्रमांक / RALVV-273 / अकादमिक / 2025

सागर, दिनांक : 07-08-25

**:: अधिसूचना ::**

एतद्वारा विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्देशों के अनुपालन में, आपके समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे अंकसूची, उपाधि व अन्य प्रमाण-पत्र अब डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह प्रक्रिया नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) का एक अभिन्न अंग है, जो कि UGC द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन भंडार है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) का उद्देश्य भारत में सभी शैक्षणिक अवार्डस का एक सुरक्षित और प्रामाणिक डिजिटल रिकॉर्ड रखना है।

**डिजिटल दस्तावेजों की वैधता एवं वैधानिक प्रावधान -**

डिजीलॉकर में उपलब्ध ये डिजिटल दस्तावेज, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। डिजीलॉकर के "Issued document" सेक्शन में उपलब्ध दस्तावेजों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 9ए के अनुसार मूल दस्तावेजों के समान कानूनी वैधता प्राप्त है। इसलिए, इन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए गए सभी शैक्षणिक दस्तावेज, जैसे कि अंकसूची और उपाधियाँ, भौतिक दस्तावेजों के समान ही कानूनी रूप से मान्य और स्वीकार्य हैं।

**दस्तावेजों को डिजीलॉकर पर प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें -**

डिजीलॉकर में इन दस्तावेजों को अपलोड करने और प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित जानकारी का मिलान होना अनिवार्य है,

- ABC ID और APAAR ID का होना आवश्यक है।
- आपकी APAAR ID में दर्ज नाम, पिता का नाम, और माता का नाम, आपके विश्वविद्यालय के नामांकन, छात्र प्रोफाइल डेटा, या एमपीऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में दी गई जानकारी से पूरी तरह से मेल खाना चाहिए।

यदि उपरोक्त प्रविष्टियों में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे अंकसूची, उपाधि, और क्रेडिट विवरण डिजीलॉकर में अपलोड नहीं हो सकेंगे। ध्यान दें कि डिजीलॉकर पर डेटा केवल अधिकृत बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा ही अपलोड किया जाता है, विद्यार्थी स्वयं दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकते हैं। अतः सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी APAAR ID, आधार ID, और विश्वविद्यालय के एमपीऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत छात्र प्रोफाइल में दर्ज नाम, पिता का नाम, और माता का नाम आदि का मिलान कर लें और यदि कोई विसंगति है, तो उसे अनिवार्यतः सही करा लें।

**सुधार (करेक्शन) प्रक्रिया का विवरण -**

यदि आपके नाम, पिता का नाम, या माता के नाम में आपकी APAAR ID, आधार ID, और विश्वविद्यालय प्रोफाइल में दर्ज प्रविष्टियों के बीच कोई भिन्नता है, तो उसे ठीक करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें -

1. सर्वप्रथम अपनी APAAR ID को अपनी आधार ID में दर्ज जानकारी के अनुसार अपडेट करें। यदि आपके नाम में आधार में भी कोई गलती है, तो पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं।

P.T.O.

2. द्वितीय, एक बार जब आपकी APAAR ID और आधार ID में पृष्ठ जानकारी एक समान हो जाए, तो विश्वविद्यालय के एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध स्टूडेंट डेटा प्रोफाइल का भी परीक्षण कर लें। यदि इस प्रोफाइल और आपकी अद्यतन (updated) APAAR/आधार ID में भिन्नता है, तो विश्वविद्यालय एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेक्शन एप्लीकेशन सबमिट करें।

3. सुधार हेतु :

- विश्वविद्यालय के एमपीऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करें।
- "स्टूडेंट इनफॉर्मेशन करेक्शन" विकल्प चुनें।
- आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट) की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
- सुधार के लिए आवेदन जमा करें।
- विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी और जानकारी को अपडेट कर दिया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु उपयोगी वेबसाइट्स –

विद्यार्थी इन डिजिटल प्लेटफॉर्मस और प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट्स का अवलोकन कर सकते हैं :

- डिजिलॉकर : <https://www.digilocker.gov.in>
- मेरी पहचान पोर्टल : <https://meripehchaan.gov.in>
- नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) : <https://nad.gov.in>
- विश्वविद्यालय एमपीऑनलाइन पोर्टल : <https://ralvv.mponline.gov.in>
- विश्वविद्यालय वेबसाइट : <https://ralvv.mp.gov.in>



(डॉ. शक्ति जैन)

कुलसचिव,

रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय

सागर (म.प्र.)

क्रमांक / RALVV-274 / अकादमिक / 2025

सागर, दिनांक : 07-08-25

प्रतिलिपि :-

01. निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु जी, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)।
02. प्राचार्य, समस्त संबद्ध शासकीय / अशासकीय / अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, सागर एवं दमोह को इस अनुरोध के साथ प्रसारित कि वे उपर्युक्त जानकारी को समस्त विद्यार्थियों तक तत्काल पहुँचाएँ एवं इस पूरी प्रक्रिया में महाविद्यालय स्तर पर कैंप / हेल्प डेस्क स्थापित कर आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करें।
03. सहायक कुलसचिव, अकादमिक / परीक्षा / प्रशासन, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)।
04. सहायक नोडल अधिकारी (डिजिलॉकर), रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.) – आवश्यक समन्वयन व कार्यवाही हेतु।
05. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
06. संबंधी नस्ती हेतु।



(राकेश कुमार चढ़ार)



सहायक कुलसचिव,  
रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय  
सागर (म.प्र.)